

सुप्रीम

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स  
दिल्ली - 54

विषय :-

"एडी कागज अनुबंध के संक्षेप" सूचना अधिकारी अधिनियम  
के तहत मुक्त निम्न जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध।

महोदय

कृपया "एडी कागज अनुबंध" "A" AND "B" के तहत अनुबंध  
के खंड में मुक्त निम्न जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध  
है।

Gen.

1.) प्रकाशन विभाग द्वारा राजकुमार इंडिंग्स को के विरुद्ध  
हलकालिष्ट व सिन्धारी शोडा जलत करने की जा कार्यवाही कि  
गई है इसके क्या कारण हैं।

Gen.

2.) HT मीडिया के विरुद्ध हलकालिष्ट व सिन्धारी शोडा जलत  
करने की जा कार्यवाही कि गई है इसके क्या कारण हैं।

Gen.

3.) क्या इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये विभाग द्वारा  
कोई मापदंड बनाये हुए हैं तथा इन मापदंडों का कानूनी-  
रखीमट में भी उल्लेख किया गया था।

Gen.

4.) राजकुमार इंडिंग्स को के विरुद्ध हलकालिष्ट व सिन्धारी  
शोडा जलत करने की जा कार्यवाही कि गई है वह कानूनी  
रखीमट में दर्ज समयावधि से पहले कि गई थी था एग्जीक्यूटिव  
कि सम्प्रति समाप्त हो चुके पर्याप्त।

Gen.

5.) क्या "एडी कागज" कि तुलाई चर्चकॉट पर नहीं कि जाये।  
एसी शर्त या नियम कानूनी एग्जीमट में दर्ज था।

28/06/15  
254  
28.6.15  
28/6/15

6) प्रकाशन विभाग द्वारा पारसद में ही सम्पन्न कर पट "ही-मगल" का वजन किया गया था तथा वजन होने के पश्चात् 30% "ही-मगल" की तुलना जाँच हुई पुनः जाँची जा रही थी। नया खरीदार या नियम कानूनी एग्रीमेंट में थी।

7) नया पुनः जाँच होने के पश्चात्, तुलना करने की प्रक्रिया में वजन में बदलाव किया गया था। यदि बदलाव किया गया था तो नया वह नियमों के अनुसार था या नियमों के विषय।

8) अनुबंध कानूनी एग्रीमेंट अनुसार लागू किया जाना था या विपरीत अनुसार केसला लेकप।

9) नया कानूनी एग्रीमेंट सिर्फ राजकुमार इंद्रों पर ही एक तरफ लागू था या दोनों पार्टों, प्रकाशन विभाग तथा राजकुमार इंद्रों के, पर लागू था।

10) पार्टी द्वारा यदि कानूनी एग्रीमेंट में दर्ज नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रवधान है। यदि प्रकाशन विभाग की तरफ से सम्बंधित व्यवहारों द्वारा एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाता है उस मामले में कार्रवाई के नया प्रवधान है।

11) नया खरीदार "अनुबंधों में पूर्व में" घम कंट पर तुलना कि गई थी।

12) नया बिना पंक्तिंग थाने शुला "ही-मगल" लॉग की मनाही एग्रीमेंट के नियमों एवं शर्तों में दर्ज थी।

सचिव  
-2  
10/11/15  
(राजकुमार)  
5264 आरत मगल पराजित नड  
दिल्ली - 110015



भारत सरकार  
प्रकाशन विभाग  
शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

Website: www.deptpub.gov.in

Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in

TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

सं. ओ.एण्ड एम./20016/2015

दिनांक 24-7-2015

सेवा में,

श्री राजकुमार  
5264, भारत नगर, पहाड़ गंज  
नई दिल्ली-110055


विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपका पत्र जो इस विभाग में दिनांक 26-6-2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गई बिन्दुवत सूचना निम्नलिखित है-


1. मांगी गई सूचना राजकुमार ट्रेडिंग कम्पनी को प्रकाशन विभाग द्वारा जारी पत्र सं० 111/waste paper/2013-14/Gen. दिनांक 15-5-15 में निहित है ।
2. मांगी गई सूचना एच. टी. मीडिया लिमिटेड को प्रकाशन विभाग द्वारा जारी पत्र सं० 111/111/waste paper/2013-14/Gen. दिनांक 23-3-15 में निहित है ।
3. मांगी गई सूचना अनुबन्ध के बिन्दु सं० 6 (ख) में निहित है ।
4. 31 मार्च 2015 के बाद ।
5. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 21 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
6. तुलाई के साथ-साथ ही जाँच हो रही थी ।
7. तुलाई प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया ।
8. दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित (प्रकाशन विभाग एवं राजकुमार ट्रेडिंग कम्पनी) अनुबन्ध के अनुसार लागू हुआ ।
9. दोनों पार्टियों पर लागू था ।
10. रद्दी कागज की बिक्री से संबंधित सारे प्रावधान टेंडर नोटिस तथा अनुबन्ध में वर्णित हैं ।
11. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 20 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
12. नहीं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/नियंत्रक प्रकाशन से निर्धारित समयवाधि में अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,  


(जी० डी० पाण्डेय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

  
OK  
मेड  
24-07-15  
मांगी